

18/11  
25

अपीलांट के अधिवक्ता अनुवा अधिवक्ता अपीलांट  
को रेसपो. की तल्बी हेतु पूर्व में पर्याप्त अवसर  
दिया जा चुका है। लिहाजा अपीलांट की यह  
अपील अदालत परवी एवं अदालत पासना न्यायालय  
आफिस में खारिज की जाती है। पत्रावली नैसल  
शुमार हाकर नंबर से कत हो एवं वाखिल दस्तत हो।

अपर कलक्टर वाइसर  
(ए.डी.एम.)